शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 – समीक्षात्मक अध्ययन

मनोज कुमार यादव

सहायक प्रवक्ता
रघुवीर महाविद्यालय,थलोई
जौनपुर

''निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009'' जम्मू और कश्मीर को छोड़कर देश के अन्य सभी राज्यों में 01 अप्रैल, 2010 से 06–14 वयवर्ग के बच्चों के लिए लागू हो चुका है। विश्व में ऐसे बहुत कम देश हैं, जहाँ बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की राष्ट्रीय व्यवस्था लागू है। इस दृष्टि से यह अधिनियम भारत को प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की आधार भूमि उपलब्ध करा रहा है।

इस अधिनियम में 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रावधान एव ं उन प्रावधानों को पूर्ण करने के लिए कर्तव्य एवं दायित्व निर्धारित है।ऐतिहासिक दृष्टि से 1870 में ब्रिटेन में अनिवार्य शिक्षा अधिनियम पारित होने के पश्चात सर्वप्रथम प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिलाने की मांग ज्यो ि तबा फुले द्वारा 1882 में हंटर कमीशन से की गयी थी। 1906 में इम्पीरियल लेजिसलेटिव असेम्बली से श्री गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा भारतीय बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करने की मांग की गयी किन्तु उन्हें भी असफलता मिली। 1937 में महात्मा गाँधी ने वर्धा में सभी बच्चों के लिए सार्वभौमिक शिक्षा की मांग रखी परन्तु वित्तीय संसाधनों के अभाव का कारण बताकर बच्चों को यह प्रदान नही ं किया गया। 1948–49 में संविधान सभा के सामन ् यह प्रश्न उत्पन्न हुआ किन्तु सलाहकार समिति ने इसे मौलिक अधिकार न मानते हुए नीति निर्देशक सिद्धान्त की सूची में स्वीकार किया गया।

नीति निर्देशक सिद्धान्त के अनुच्छेद–45 के अनुसार ''राज्य इस संविधान के लागू होने के 10 साल की अवधि में सभी बच्चों के लिए जब तक कि वे 14 साल की आयु को नहीं प्राप्त कर लेते निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा।'' सभी बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय द्वारा 1993 में प्रदत्त निर्णय में यह कहा गया कि शिक्षा के बिना जीवन का अधिकार अधूर ा है तथा 14 वर्ष तक के समस्त बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना राज्य का दायित्व है। इस निर्णय के उपरान्त 86वां संवैधानिक संशोधन 2002 के अन्तर्गत मूल अधिकारों में अनुच्छेद 21ए सम्मिलित किया गया, जिसके अनुसार ''राज्य 6–14 वर्ष के आयुवर्ग वाले सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा

उपलब्ध कराने का, ऐसी रीति में जो राज्य विधि द्वारा अवधारित करे, उपबन्ध करेगा। ''इसके साथ ही संविधान के अनुच्छेद 45 केलिए निम्नलिखित अनुच्छेद स्थानापन्न किया'' राज्य सभी बच्चों को जब तक वे अपनी 06 वर्ष की उम्र पूरी नहीं कर लेते बचपन पूर्व सुरक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा।

संविधान के अनुच्छे 51–ए में धारा (जे0) के बाद निम्नलिखित धारा जोड़ी गयी–धारा (के0) ''यदि माता–पिता या संरक्षक हैं, 06 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने, यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें।'' इसके फलस्वरूप प्रारम्भिक शिक्षा को एक मौलिक अधिकार का दर्जा प्राप्त हुआ और सभी बच्चां ं को यह अधिकार उपलब्ध कराने के लिए प्रयत्न प्रारम्भ हुए। इसी क्रम में वर्ष 2006 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम का एक माडल विधेयक विकसित हुआ जो 04 अगस्त, 2009 को निःशुल्क एव ं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के रूप में पारित और 27 अगस्त, 2009 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ। अंततः भारत के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त कराने की यात्रा लगभग एक शताब्दी के बाद 2010 में मंजिल प्राप्त कर सकी और 01 अप्रैल, 2010 से शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हो गया है। यह अधिनियम यह अधिसूचित करता है कि प्रत्येक बालक अद्वितीय है तथा उसकी विलक्षणताओं को स्पष्टतया प्रकट व पुष्ट करना राष्ट्र/राज्य की जिम्मेदारी है। शिक्षा का अधिकार अब 6–14 वयवर्ग के सभी बच्चों के लिए एक मौलिक अधिकार है तथा राज्य प्रत्येक बच्चे को कक्षा–8 तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी है। यह अधिनियम निम्नलिखित कारणों से अन्य देशों के शिक्षा अधिनियमों से विशिष्ट है :–

- निःशुल्क की परिभाषा का तात्पर्य शुल्क न देने से काफी आगे तक है।
- अनिवार्यता सरकारों पर है न कि पालकों पर।
- प्रत्येक प्रकार के भेदभाव को खत्म करके समेकित शिक्षा पर बल देना है।
- विद्यालय के लिए मान एवं मानक का निर्धारण।
- बाल अधिकारों को कानून के दायरे में लाना।

इस अधिनियम के मूर्त रूप लेने से यह आशा की जा सकती है कि अब सरकारों तथा शिक्षा से जुड़े नीति निर्धारकों का सम्यक प्रयास होगा कि यथाशीघ्र सभी बच्चों के लिए विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान किया जाय।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन तथा सफल परिणाम हेतु अधिनियम में सरकार तथा विभिन्न निकायों के दायित्व निर्धारित किए गये हैं जो इस प्रकार हैं

केंद्र सरकार का दायित्व

- अधिनियम के लागू करने के दौरान राज्य सरकार से बातचीत करके तथा सूत्र के अनुसार लागत का अपना हिस्सा राज्य को प्रदान करना।
- एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का प्रभावी ढाँचा तयै ार करना। शिक्षकों को उत्कृष्ट प्राथमिक शिक्षा हेतु गुणवत्ता आधारित प्रशिक्षण देना।
- तकनीकी, अनुसंधानात्मक एव ं क्षमता निर्णयात्मक संसाधन व सहयोग उपलब्ध कराना।
- विभिन्न उपायों, योजनाओं एवं कार्यक्रमों की निगरानी करना और चूक होने पर समुचित कदम उठाना।
- राज्य सरकारों को तकनीकी व संसाधनों द्वारा सहयागे उपलब्ध कराना।

राज्य सरकार का दायित्व

- नजदीक में स्कूल की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- यह सुनिश्चित करना कि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषायी, लैगिंक स्थानीय, शारीरिक या अन्य बाधाओं के कारण कोई भी बालक शिक्षा से वंचित न रहें।
- ढांचागत सुविधाएं, जिसमें भवन, अध्यापक, स्टाफ और सीखने के साधन शामिल हैं, उपलब्ध कराना।
- प्रत्येक बच्चे के प्रवेश, उपस्थिति तथा प्राथमिक शिक्षा की समाप्ति को सुनिश्चित करना।
- जो किशोर किन्हीं कारणों से 14 वर्ष की उम्र तक प्राथमिक शिक्षा पूरी न कर सकें हों, उन्हें प्राथमिक शिक्षा पूरी होने या 18 वर्ष की उम्र तक मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाय।

सम्बद्ध सरकार के दायित्व

- मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान की जिम्मेदारियों के बारें में धारा 9 में परिभाषित केन्द्र सरकार की जिम्मेदारियों के अतिरिक्त बाकी सारी जिम्मेदारियां सम्बद्ध राज्य सरकार की होंगी।
- स्थानीय निकायों के साथ आपसी बातचीत के आधार पर उक्त अधिनियम के सफल कार्यान्वयन हेतु आर्थिक संसाधन हासिल करना।
- प्रतिवर्ष यह सुनिश्चित करना कि किन–किन स्थानों पर कितने स्कूलों की आवश्यकता है और इसके अतिरिक्त किन मूलभूत सुविधाओं की अनिवार्यता है।
- आवश्यकतानुसार स्कूल बनवाना और चालू करना।
- अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप स्कूलों में शिक्षकों की बहाली करना।

- प्राथमिक स्तर पर स्कूली पाठ्यक्रम का सक्षम शिक्षाविदों द्वारा समय–समय पर संशोधन करवाना।
- इस अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु व्यापक डेटाबेस का विकास औररख–रखाव करना।

स्थानीय प्राधिकारी के दायित्व

- अपने क्षेत्र में रहने वाले 1–14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों का वंचित वर्ग कमजोर वर्ग आदि में रिकार्ड का रख–रखाव करना।
- यह सुनिश्चित करना कि उनके इलाके में रहने वाले प्रत्येक बच्चे ने प्राथमिक विद्यालय में दाखिला ले लिया है और वह नियमित स्कूल जाता है तथा प्राथमिक शिक्षा पूरी करने में सक्षम है।
- मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने में यदि कोई समस्या आड़े आए तो अतिरिक्त स्कूलों, अध्यापकों व अन्य सुविधाओं हेतु याजे ना और बजट तैयार कर अपने इलाके में निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने वाले स्कूलों की मौजूदा बुनियादी सुविधाओं, शिक्षकों और अन्य सुविधाओं की निगरानी करना।
- शैक्षणिक कैलेण्डर निर्धारित करना।
- प्रवासी परिवारों के बच्चों की शिक्षा हेतु विशेष कदम उठाना।
- निःशुल्क शिक्षा के अधिकार के अन्तगर्त निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, पोषाहार अथवा विकलांग बच्चों को विशिष्ट अधिगम सामग्री, सहायक सामग्री आदि का स्पष्ट प्रावधान करना।
- विद्यालय के कामकाज का अनुश्रवण और निगरानी सुनिश्चित करना।

विद्यालय के दायित्व

- सरकारी विद्यालय तो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेंगें ही, निजी और विशेष श्रेणी वाले विद्यालयों को भी आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों को कक्षा–1 में प्रवेश पाए हुए कुल छात्रों का कम से कम 25 प्रतिशत प्रवेश देना होगा।
- मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा के बारें में राज्य सकार अथवा संबद्ध सरकार द्वारा नामित अधिकारी विद्यालयों से जो भी सूचनाएं मांगे, उसे मुहयैा करानी होगी।
- कोई भी विद्यालय प्रवेश के समय किसी भी प्रकार की कैपिटेशन फीस नहीं लेगा तथा बच्चे व माता–पिता किसी भी प्रकार की स्क्रीनिंग प्रक्रिया के पात्र नहीं होंगे इसका उल्लंघन करने पर अर्थदण्ड का प्रावधान है।
- किसी भी विद्यालय में प्रवेश दिए गये बच्चे को प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने से पहले निष्कासित नहीं करना तथा इस प्रावधान का उल्लंघन करने वालों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रावधान है।

- विद्यालय में प्रवेश के लिए बच्चे की उम्र का निर्धारण बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर किया गया है जो कि 'जन्म मृत्यु एवं विवाह पंजीकरण अधिनियम 1986' के अनुसार या इसी प्रकार से निर्धारित अन्य दस्तावेज के अनुसार होगा परन्तु आयु के प्रमाण के अभाव में प्रवेश देने से मना नहीं किया जा सकता।
- किसी भी बच्चे को शारीरिक व मानसिक यातना देना निषेध है।
- यदि अधिनियम के लागू होने से पहले के किसी विद्यालय द्वारा अनुसूची में बतलाए गये मानकों का अनुपालन नहीं हो पाया है तो अधिनियम लागू होने के 3 वर्ष की अवधि में अपने ही खर्च पर उन्हें अनुपालित करने की व्यवस्था करनी होगी।

विद्यालय प्रबंध समिति के दायित्व

प्रावधान है कि अनुदान न पाने वाले निजी विद्यालयों को छोड़कर सभी विद्यालय, विद्यालय प्रबन्ध समिति (स्कूल मैनेजमेन्ट कमेटी– एस.एस.सी.) का गठन करेंगे। इस समिति में स्थानीय सरकार के चुने हुए प्रतिनिधि, विद्यालय में नामांकित बच्चों के अभिभावक व शिक्षक होंगे। कुल सदस्यों में तीन चौथाई सदस्य अभिभावकों में से होंगे। वंचित एवं कमजोर तबके से पर्याप्त प्रतिनिधित्व हागेा व आधी महिलाएं होगी। इनके कार्य इस प्रकार होंगे–

- विद्यालय के कार्यों का अनुश्रवण करना।
- विद्यालय दिवस की योजना बनाना व उसकी संस्तुति करना।
- विद्यालय की परिसम्पत्ति का प्रबन्धन सरकार या स्थानीय प्राधिकारी अथवा अन्य स्रोतों से प्राप्त अनुदान के उपयोग का अनुश्रवण करना एवं अन्य कार्यों को करना।

शिक्षकों के दायित्व

शैक्षिक प्राधिकारी द्वारा निर्धारित न्यनू तम अर्हताओं की केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित हो, के आधार पर अध्यापक के रूप में नियुक्ति की योग्यता मानी जाएगी। शिक्षकों के दायित्व इस प्रकार हैं–

- विद्यालय में समय के साथ नियमित उपस्थिति बनाए रखना।
- पाठ्यक्रम का सम्प्रेषण और पूर्ति करना निर्दिष्ट समयावधि में सम्पूर्ण पाठ्यक्रम पूरा करना प्रत्येक बच्चे की अधिगम क्षमता का आकलन करते हुए आवश्यकतानुसार उसे अतिरिक्त अनुदेशन प्रदान करना।
- माता–पिता या अभिभावकों के साथ नियमित बैठक आयोजित करना जिससे बच्चों की उपस्थिति की नियमितता सीखने की क्षमता, प्रगति और आवश्यक जानकारी उन्हें दी जा सके।

➢ आर्थिक लाभ के लिए किसी अन्य शैक्षिक गतिविधि में शामिल न होना।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन की निगरानी और देखभाल का जिम्मा केन्द्र के स्तर पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और राज्य स्तर पर राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोगों के जिम्मे है। दुःखद तथ्य यह है कि पिछले दो वर्षों में राष्ट्रीय आयागे के पास देश के विभिन्न राज्यां` से इस कानून का उल्लंघन की आई शिकायतों से कुछ मामलों का निपटारा करने में ही आयागे सफल रहा। अच्छी बात यह है कि कर्नाटक व गोवा को छोड़कर बाकी सभी राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों ने इस कानून के क्रियान्वयन के लिए आदर्श नियम बनाकर अधिसूचित कर दिये हैं। इससे इस कानून के जमीनी स्तर पर लागू होने की रफ्तार बढ़ी है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- अग्रवाल, जी० के० (2008) समाजशास्त्र, आगरा : एस0 बी0 पी0 डी0 पब्लिशिंग हाउस।
- कुसेदिया, उमेश चन्द्र (2008) शिक्षा प्रशासन, आगरा : विनोद पुस्तक मंदिर।
- अखिल भारतीय शिक्षा सर्वेक्षण (1986), दिल्ली।